Neutral Citation
2021:CGHC:24336

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 379 वर्ष 2014

निर्णय सुरक्षित दिनांक 24–9–2021

निर्णय दिनांक 1–11–2021 को सुनाया गया

1. श्रीमती जागृति, पति स्वर्गीय श्री रामलखन, आयु लगभग 46 वर्ष,
2. ललित विजय सिंह, पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह, आयु लगभग 24 वर्ष,
3. आकृति, पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह, आयु लगभग 23 वर्ष,
4. भानु प्रताप, पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह, आयु लगभग 21 वर्ष,
5. फलित सिंह, पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम फुन्दुरडिहारी, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

(वादीगण)---- अपीलकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. (क) श्रीमती सीतापुरी, पति स्वर्गीय रतनचंद पुरी, उम्र लगभग 74 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी,

   (ख) नीरज पुरी, पिता स्वर्गीय रतनचंद पुरी, उम्र लगभग 41 वर्ष, दोनों निवासी महामाया रोड, अंबिकापुर, मायापुर, पी.एस. और तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

(प्रतिवादी)---- प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं/वादी के लिए : – श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1/राज्य के लिए : – श्री सिद्धार्थ दुबे, उप सरकारी अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2(क) और 2(ख)/प्रतिवादी के लिए: – श्री सुनील त्रिपाठी और श्री अपूर्व त्रिपाठी, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

सी.ए.वी. निर्णय

1. मूल वादी संख्या 2 रामलखन के एलआर द्वारा दायर की गई यह दूसरी अपील कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर दिनांक 10–8–2021 के आदेश द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार की गई थी: –

"क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 96 के तहत की गई पहली अपील को यह कहकर खारिज करना उचित है कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है? "

(सुविधा के लिए, पार्टियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष वादपत्र में दिखाई गई उनकी स्थिति और दी गई रैंकिंग के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

2. स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मूल वाद कवलसाई द्वारा 18–2–1970 को संस्थित किया गया था। वर्ष 1978 में वाद के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई तथा अपने पीछे तीन पुत्र भूलनराम, रामलखन और रामनारायण और विधवा पनमेसरी छोड़ गए; उन्हें दिनांक 16–12–1993 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वादी कवलसाई के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित किया गया; इसके बाद, एक प्रतिस्थापित वादी अर्थात् रामलखन की मृत्यु 22–1–1999 को हो गई तथा उसके बाद एक अन्य प्रतिस्थापित वादी अर्थात् भूलनराम की मृत्यु 29–7–1999 को हो गई। एल.आर. के प्रतिस्थापन और मृतक वादियों (प्रतिस्थापित) के एल.आर. को अभिलेख पर लाने तथा उपशमन को पक्ष में रखने के लिए आवेदन दायर किए गए, जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2007 के आदेश द्वारा विचार किया गया। जहां तक भूलनराम के एल.आर. को प्रतिस्थापित करने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने दिनांक 10–10–2007 के आदेश द्वारा आवेदनों को स्वीकार कर लिया, तथापि, रामलखन के एल.आर. की ओर से दिनांक 10–10–2007 के आदेश द्वारा दायर किए गए प्रतिस्थापन और उपशमन को खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद, रामलखन के एल.आर. को प्रतिस्थापित करने से इंकार करने वाले दिनांक 10–10–2007 के आदेश पर सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(के) के अंतर्गत अपील दायर करने सहित किसी भी अनुमेय तरीके से प्रश्नगत नहीं किया गया और भूलनराम के एल.आर. और एक अन्य के कहने पर मुकदमे को आगे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बढ़ाने की अनुमति दी गई। अंततः, इसे 28–1–2008 के निर्णय द्वारा गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया। यह भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि 28–1–2008 को मुकदमे को गुण–दोष के आधार पर खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मूल वादी कवलसाई के अन्य एलआर यानी भुलनराम, रामनारायण या पनमेसरी ने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन रामलखन के एलआर ने पहली अपील दायर की थी, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 10–10–2007 द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी और सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 (के) के तहत आदेश के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई थी, हालांकि, उन्होंने 24–3–2008 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्णय और डिक्री को गुण–दोष के आधार पर चुनौती देते हुए पहली अपील पेश की और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–8–2014 द्वारा अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यहां अपीलकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि प्रतिस्थापन के लिए उनके आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया गया है और उन्होंने प्रतिस्थापन से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 (के) के तहत कोई अपील पेश नहीं की है। क्योंकि मुकदमे की आगे की कार्यवाही के साथ–साथ आरोपित निर्णय और डिक्री कानून की नजर में एक शून्यता के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे अब यहां अपीलकर्ताओं / रामलखन के एलआर द्वारा इस दूसरी अपील के माध्यम से सवाल करने की मांग की गई है जिसमें 10–8–2021 को कानून का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है और जिसे पूर्णता के लिए इस निर्णय के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री सुशोभित सिंह, अपीलकर्ताओं/रामलखन के एल.आर. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि रामलखन के एल.आर. अर्थात् अपीलकर्ता सी.पी.सी. की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम अपील बनाए रखने के उद्देश्य से व्यथित व्यक्ति हैं, यद्यपि उन्होंने सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(के) के अंतर्गत अपील के माध्यम से प्रतिस्थापन के लिए उनके आवेदन को दिनांक 10–10–2007 को खारिज करने के आदेश पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन वाद खारिज होने के पश्चात, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के निर्णय एवं डिक्री के गुण–दोष पर प्रश्न उठाए हैं। वे **हरदेविंदर सिंह बनाम परमजीत सिंह**

एवं अन्य[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेंगे तथा प्रस्तुत करेंगे कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए तथा मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, ताकि विधि के अनुसार गुण–दोष के आधार पर नए सिरे से अपील की सुनवाई एवं निपटान किया जा सके। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में श्री **के. एल. चांडक बनाम श्री जय चंद एवं अन्य**[2] मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया।

4. प्रतिवादी सं. 2(ए) और 2(बी)/प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुनील त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यहां अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है, क्योंकि 10–10–2007 को एलआर के प्रतिस्थापन के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के बाद अपीलकर्ताओं के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय सीपीसी के आदेश 43 नियम 1(के) के तहत अपील दायर करके उस आदेश पर सवाल उठाना था, 10–10–2007 के आदेश पर आगे आक्रमण किए बिना, उक्त आदेश अंतिम हो गया है और यहां अपीलकर्ता मुकदमे को खारिज करने के बाद ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते, जिसे गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है और जो अंतिम हो गया है, क्योंकि ऐसा करना दो विरोधाभासी आदेशों को पारित करने के बराबर होगा, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है। वह अपनी दलील का समर्थन करने के लिए **मंगलूराम देवांगन बनाम सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य**[3], **अम्बा बाई एवं अन्य बनाम गोपाल एवं अन्य**[4], **मदन नायक (मृत) कानूनी प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम श्रीमती हंसुबाला देवी एवं अन्य**[5] **तथा वी.एन. कृष्ण मूर्ति एवं अन्य बनाम रविकुमार एवं अन्य**[6] के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करेंगे तथा अपनी दलील का समर्थन करेंगे तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2013) 9 एससीसी 261
2 आरएसए संख्या 85/2004 तथा सीएमएस 4643/2004 एवं 10869/2004, 1–3–2011 को निर्णीत
3 (2011) 12 एससीसी 773
4 (2001) 5 एससीसी 570
5 (1983) 3 एससीसी 15
6 (2020) 9 एससीसी 501

प्रस्तुत करें कि जिस रूप में प्रथम अपील तैयार की गई और दायर की गई, वह स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपील करने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और सीपीसी की धारा 96 के तहत ज्ञापन दाखिल करते समय दिनांक 10–10–2007 के आदेश की वैधता, वैधता और शुद्धता के बारे में प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए अपील को सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

6. यह सही है कि रामलखन की एल.आर. को अभिलेख पर लाने तथा उपशमन को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 10–10–2007 को खारिज कर दिया था और उसके बाद अन्य वादियों की एल.आर. के प्रतिस्थापन के आधार पर वाद आगे बढ़ा और अंततः वाद गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया, तब रामलखन की एल.आर. ने सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रथम अपील संस्थित की जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 10–10–2007 के आदेश द्वारा उपशमन से इंकार करने वाला आदेश सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(के) के तहत अपील योग्य आदेश था और इसके अभाव में वाद पहले ही उपशमन हो चुका था और इसलिए सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रथम अपील पोषणीय नहीं होगी। सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(के) में यह प्रावधान है कि सी.पी.सी. के आदेश 22 के नियम 9 के तहत किसी वाद के उपशमन या खारिज करने से इंकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. निस्संदेह और निर्विवाद रूप से, रामलखन की मृत्यु के कारण छूट देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 10–10–2007 के आदेश को रामलखन के एलआर यानी वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा सीपीसी के आदेश 43 नियम 1(के) के तहत अपील के माध्यम से उस आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया था। यहां अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर कड़ी आपत्ति जताई कि दिनांक 10–10–2007 का आदेश सीपीसी के आदेश 43 नियम 1(के) के

तहत अपील योग्य होने के कारण केवल उसी से अपील में चुनौती दी जा सकती थी, न कि सीपीसी की धारा 96 के तहत पहली अपील में, जिसका प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने भी समर्थन किया है। हालांकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि इसे निश्चित रूप से सीपीसी की धारा 105(1) के तहत चुनौती दी जा सकती है। सीपीसी की धारा 105 निम्नानुसार प्रावधान करती है: –

"105. अन्य आदेश.–(1) अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, किसी न्यायालय द्वारा अपने आरंभिक या अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी; किन्तु, जहां किसी डिक्री के विरुद्ध अपील की जाती है, वहां किसी आदेश में कोई त्रुटि, दोष या अनियमितता, जो मामले के निर्णय को प्रभावित करती है, अपील के ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई पक्षकार, किसी ऐसे प्रतिप्रेषण आदेश से व्यथित होकर, जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, अपील नहीं करता है, वहां तत्पश्चात् उसे उसकी शुद्धता पर विवाद करने से रोक दिया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सीपीसी की धारा 105 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि यह उस आदेश को अधिनियमित करता है, चाहे वह अपील योग्य हो या नहीं, सिवाय रिमांड के आदेश को अंतिम डिक्री से अपील में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि (ए) आदेश में कोई त्रुटि/अनियमितता है; और (बी) ऐसा आदेश/दोष/अनियमितता मामले के निर्णय को प्रभावित करती है।

9. सीपीसी की धारा 105(1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी आदेश" प्रकृति में सामान्य है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे अपील योग्य या गैर–अपील योग्य आदेशों तक सीमित करता हो। यह दोनों प्रकार के आदेशों को समझता है जो उप–धारा (2) से और अधिक स्पष्ट है जिसमें डिक्री से अपील में चुनौती से रिमांड के अपील योग्य आदेशों को बाहर करने वाला एक विशेष प्रावधान है।

10. **सत्यध्यान घोषाल बनाम श्रीमती दियोरजिन देबी**[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सी.पी.सी. की धारा 105 के विकास का पता लगाया और देखा कि कैसे "ऐसा आदेश" शब्द जो 1877 की संहिता की धारा 591 में आया था और जिसे 1882 की परवर्ती संहिता में बरकरार रखा गया था, को वर्तमान संहिता की धारा 105 में "कोई आदेश" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह इंगित करने के बाद कि धारा 591 में 'ऐसा आदेश' शब्द ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष कुछ मामलों में इस विवाद को जन्म दिया कि यह धारा केवल गैर–अपीलीय आदेशों पर लागू होती है, कि इस विवाद को प्रिवी काउंसिल द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह दृष्टिकोण विधानमंडल द्वारा 'ऐसा कोई आदेश' शब्द को "कोई आदेश" में बदलकर अपनाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार माना (पृष्ठ 946 पर):

"16. इसलिए यह स्पष्ट है कि एक अंतरिम आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं की गई थी, क्योंकि या तो कोई अपील नहीं थी या फिर अपील की गई थी, लेकिन अपील नहीं ली गई थी, उसे अंतिम डिक्री या आदेश से अपील में चुनौती दी जा सकती है। रिमांड के आदेशों के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया था और वह यह था कि यदि कोई अपील की गई और फिर भी अपील नहीं ली गई, तो रिमांड के आदेश की सत्यता को बाद में अंतिम निर्णय से अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। हालांकि, यदि रिमांड के आदेश से कोई अपील नहीं की गई, तो इसकी सत्यता को अन्य अंतरिम आदेशों के मामलों की तरह अंतिम निर्णय से अपील करके चुनौती दी जा सकती है।

11. **सत्यध्यान घोषाल** (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह पूरी तरह से स्थापित है कि उपशमन को रद्द करने से इनकार करने वाला आदेश सीपीसी की धारा 105(1) के अर्थ में आएगा और इसे अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील दायर करते समय सीपीसी की धारा 105(1) के तहत अपील के ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलकर्ताओं ने हालांकि अंतिम डिक्री के खिलाफ पहली अपील की,

7 एआईआर 1960 एससी 941

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेकिन 10–10–2007 के आदेश पर सवाल उठाने वाले प्रथम अपील के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से आधार निर्धारित नहीं किया। तथापि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील पर गुण–दोष के आधार पर विचार नहीं किया तथा केवल इस तथ्य तक प्रश्न को सीमित रखा कि अपीलकर्ताओं/वादीगण के पिता रामलखन के विरुद्ध वाद उपशमित कर दिए जाने के कारण प्रथम अपील पोषणीय है या नहीं, तथा आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट रूप से माना गया कि प्रथम अपील पोषणीय नहीं है, क्योंकि रामलखन के विरुद्ध वाद पहले ही उपशमित कर दिया गया था, क्योंकि रामलखन के एल.आर. को समय पर अभिलेख पर नहीं लाया गया था तथा चूंकि अपील सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1(के) के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए वह आदेश अंतिम हो गया है।

12. इस प्रकार, मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या उपशमन को रद्द करने से इनकार करने से मामले के गुण–दोष पर निर्णय प्रभावित हुआ है या नहीं, हालांकि इसे प्रथम अपील के ज्ञापन में विशेष रूप से नहीं उठाया गया है। एक बार जब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10–10–2007 के आदेश के लिए लिस क्वा पर विचार किया गया, तो अपील के ज्ञापन में इसे न उठाने का मुद्दा पीछे चला जाएगा और इसे सीपीसी की धारा 105(1) के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता था, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील के निर्णय को पूरी तरह से दिनांक 10–10–2007 के आदेश पर आधारित किया था। इस प्रकार, दिनांक 10–10–2007 के आदेश की वैधता, वैधता और शुद्धता की जांच करने के लिए सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रथम अपील स्वीकार्य थी और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए अपील को खारिज करने में घोर गलती की कि मुकदमा पहले ही पूरी तरह से उपशमन हो चुका था और ट्रायल कोर्ट का फैसला अमान्य था।

13. परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील को कानून में अनुरक्षणीय न मानते हुए खारिज करने और यह मानते हुए कि वाद पहले ही समाप्त हो चुका है, गंभीर कानूनी त्रुटि की है। इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है। अपील को कानून के अनुसार सुनवाई और निपटान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए प्रथम अपीलीय न्यायालय की फाइल में बहाल किया जाता है। पक्षकार 22–11–2021 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। कोई नया नोटिस आवश्यक नहीं होगा और अपील की अंतिम रूप से उपस्थिति की तारीख से शीघ्र सुनवाई की जाएगी और यह 31–12–2021 को या उससे पहले समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सिविल वाद 18–2–1970 को दायर किया गया था। कानून के पर्याप्त प्रश्न का तदनुसार उत्तर दिया गया है और परिणामस्वरूप, दूसरी अपील को ऊपर इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है। सरगुजा को एक विशेष संदेशवाहक द्वारा फैसले की एक प्रति तत्काल भेजी जाएगी।

एस.डी./–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**